



कार्यालय-प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611



वैश्व वृद्धावस्था
ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

पत्रांक- २४५५ / 12-1 देहरादून : दिनांक: २९मई, 2025

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (के०),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड, देहरादून।

विशय :-जनपद अल्मोड़ा में तलेट से बिरकोला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 5.00125 है० वन भूमि का गैर
वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ :-भारत सरकार का पत्र सं० -8बी०/यू०सी०पी/०६/७२/२०१५/एफ०सी०/८० दिनांक-15.04.2016।

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण, वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सदर्थ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा द्वारा वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा के पत्रांक 2616/12-1(2) दिनांक 07.04.2025 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन कर आख्या निम्नप्रकार प्रेषित की जा रही है :-

क्र.सं	अधिरोपित शर्तें	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	1- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 10 है० बिल्लेख सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को सहमति करते हुए यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	शर्त संख्या:1- के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा द्वारा वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 10.020 है० ग्राम-बिल्लेख, पटवारी क्षेत्र-बिल्लेख, तहसील-रानीखेत, मे सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु देय धनराशि रू० 23,03,596/- (रू० तेईस लाख तीन हजार पाँच सौ छियानब्बे) मात्र तदर्थ कैम्पा कोष, मे जमा कर दी गयी है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित ग्राम बिल्लेख 10.020 हे० जिलाधिकारी, अल्मोड़ा के आदेश सं० 1989/ ग्यारह-12/2014-15/2014-15 दिनांक 02.01.2015 के क्रम में खाता खतौनी एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण वन स्थल उपर्युक्तता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है।
2	2- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र सं-5-3/2007-एफ०सी० दि० 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	शर्त संख्या 2- के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा द्वारा वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा के माध्यम से अवगत कराया गया है कि एन०पी०वी० हेतु 32,85,821/- (बत्तीस लाख पिचासी हजार आठ सो इक्कीस मात्र) की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है।
3	3- शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोत्तरी होती है, तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।	शर्त संख्या 3- के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा द्वारा वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग में भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार एन०पी०वी० की नयी दरों के अनुसार धनराशि 17,41,486 (सतरह लाख इक्वालीस हजार चार सौ छियासी मात्र) की धनराशि इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

4	4- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दि0 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाता संख्या 037100101025229 का कॉर्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लाक-11 भूतल,सी0जी0ओ0 काम्प्लैक्स, फेज-1,लोधी रोड, नई दिल्ली में जमा कराया जाय एवं इस कार्यालय को सूचित किया जाय। धनराशि का हस्तान्तरण आनलाईन पोर्टल के माध्यम द्वारा ही किया जाना आवश्यक है।	शर्त संख्या 4-के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा द्वारा वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त, अल्मोड़ा के माध्यम से अवगत कराया गया है कि कि प्रस्तावित मोटर मार्ग में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 23,03,596.00 (तेईस लाख तीन हजार पाँच सो छियानब्बे मात्र) तथा एन0पी0वी0 हेतु 32,85,821.00 (बत्तीस लाख पिचासी हजार आठ सो इक्कीस मात्र) की धनराशि तथा भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2011-FC(Vol-I) दिनांक 06.01.2022 एवं पत्र संख्या-5-3/2011-FC(Vol-I) दिनांक 19.01.2022 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की पुनरीक्षित (नवीन) दरों के तहत रू0 17,41,486 (सतरह लाख इक्वालीस हजार चार सौ छियासी मात्र)की अतिरिक्त धनराशि ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा कर दिया है।
5	5- मोटर मार्ग के निर्माण कार्य के पूर्ण होने के पश्चात् जहाँ-जहाँ सम्भव हो, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर सड़क के दोनों ओर तथा Central Verge पर प्रयोक्त अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में Strip Plantation की जायेगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।	शर्त संख्या 5- के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा द्वारा वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त, अल्मोड़ा के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् जहाँ-जहाँ सम्भव हो लोक निर्माण विभाग द्वारा अपने व्यय पर मार्ग के दोनों ओर तथा Central Verge पर प्रयोक्त अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में Strip Plantation किये जाने हेतु प्रयोक्त अभिकरण सहमत है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रेषित किया जा रहा है।
6	राज्य सरकार द्वारा Working Plan prescription से सम्बन्धित details की entry online Part II में भी करनी होगी।	शर्त संख्या 6-उक्त शर्त के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा द्वारा वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त, अल्मोड़ा के माध्यम से अवगत कराया गया है कि राज्य सरकार द्वारा Working Plan prescription से सम्बन्धित details की entry online Part II में अपडेट की जानी सम्भव नहीं हो पा रही है। प्रस्तावित मोटर मार्ग कार्ययोजना के खण्ड-1 (भाग-2) के अध्याय-14 में चीड वन संवर्धन कार्यवृत्त में सम्मिलित है। (छाया प्रति संलग्न)

अतः अनुरोध है कि प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के क्रम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 यथासंशोधित 2023 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्न:-यथोपरि।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक,

एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संख्या : 2854 / 12-1 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लो0नि0वि0, अल्मोड़ा।

(आर0के0 मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक,

एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

प्राप्त हुआ
12/0

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक - 2616 / 12-1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 07-04-2025.

10101

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- जनपद अल्मोड़ा में तलेट से बिरकोला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 5.00125 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव सं०- 10101/2015)

सन्दर्भ :- भारत सरकार की पत्र सं०- 8बी/यू०सी०पी०/०६/७२/२०१५/एफ.सी/८०/दि-15.04.2016

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के संबंध में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक- 3672/12-1, दिनांक- 02.04.2025 द्वारा उपलब्ध करायी गयी है, जिसे आपके सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है। कृपया अग्रेत्तर कार्यवाही करना चाहें।

संलग्न- तीन प्रतियों में।

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून

पंजीकृत सं० 4532
प्रतिलिपि 12-1
दिनांक 15-4-25

भवदीय

(डॉ. धीरज पाण्डेय)

मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

प्रभारी अल्मोड़ा
आ.का.के.र.

प.व. सं/नो
9-4-25

3 APR 2025

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा

E-mail:- csalmdfo@rediffmail.com

Phone/Fax :- (05962) 230229

पत्रांक 3672 / 12-1

दिनांक, 02/04/2025

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
अल्मोड़ा।

विषय : जनपद अल्मोड़ा में तलेट से बिरकोला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 5.00125 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ : भारत सरकार का पत्र सं० -8बी०/यू०सी०पी०/०६/७२/२०१५/एफ०सी०/८० दिनांक-15.04.2016।

महोदय,

उपरोक्त विषयक एवं संदर्भित पत्र द्वारा जनपद अल्मोड़ा में तलेट से बिरकोला तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 5.00215 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति के कुछ शर्तों के अधीन प्रदान की गयी है। अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि० अल्मोड़ा ने अपनी पत्र सं० 934/3 सी० दिनांक 25.03.2025 से अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या उपलब्ध की गयी है, जिसे निम्नानुसार बिन्दुवार अनुपालन आख्या प्रेषित की जा रही है।

1- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 10 है० बिल्लेख सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को सहमति करते हुए यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	शर्त संख्या 1- के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग ने अवगत कराया है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण में पातन किये जाने वाले वृक्षों में 10 गुना अर्थात् 110 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु धनराशि प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित करवाकर वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण वन विभाग के पक्ष में कर लिया गया है। (प्रति संलग्न)
2- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र सं-5-3/2007-एफ०सी० दि० 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	शर्त संख्या 2- के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग ने अवगत कराया है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 23,03,596.00 (तेईस लाख तीन हजार पाँच सौ छियानब्बे मात्र) तथा एन०पी०वी० हेतु 32,85,821.00 (बत्तीस लाख पिचासी हजार आठ सौ इक्कीस मात्र) की धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 28.09.2016 को जमा कर दी गयी है। (आनलाईन प्रति संलग्न)
3- शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है, तो बड़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।	शर्त संख्या 3- के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग ने अवगत कराया है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग में भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार एन०पी०वी० की नयी दरों के अनुसार धनराशि 17,41,486 (सतरह लाख इक्चालीस हजार चार सौ छियासी मात्र) की धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 30.12.2024 को जमा कर दी गयी है। इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

4- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दि० 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMP) के तदर्थ निकाय खाता संख्या 037100101025229 का कॉर्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लाक-11 भूतल,सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज-1,लोधी रोड, नई दिल्ली में जमा कराया जाय एवं इस कार्यालय को सूचित किया जाय। धनराशि का हस्तान्तरण आनलाईन पोर्टल के माध्यम द्वारा ही किया जाना आवश्यक है।	शर्त संख्या 4- के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग ने अवगत कराया है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग में क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु 23,03,596.00 (तेईस लाख तीन हजार पाँच सौ छियानब्बे मात्र) तथा एन0पी0वी0 हेतु 32,85,821.00 (बत्तीस लाख पिचासी हजार आठ सौ इक्कीस मात्र) की धनराशि तथा भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार एन0पी0वी0 की नयी दरों के अनुसार धनराशि 17,41,486 (सतरह लाख इक्वालीस हजार चार सौ छियासी मात्र) की धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा कर दी गयी है। (आनलाईन प्रति संलग्न)
5- मोटर मार्ग के निर्माण कार्य के पूर्ण होने के पश्चात् जहाँ-जहाँ सम्भव हो, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर सड़क के दोनों ओर तथा Central Verge पर प्रयोक्त अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में Strip Plantation की जायेगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।	शर्त संख्या 5- के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग ने अवगत कराया है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् जहाँ-जहाँ सम्भव हो लोक निर्माण विभाग द्वारा अपने व्यय पर मार्ग के दोनों ओर तथा Central Verge पर प्रयोक्त अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में Strip Plantation किये जाने हेतु प्रयोक्त अभिकरण सहमत है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रेषित किया जा रहा है।
6- राज्य सरकार द्वारा Working Plan prescription से सम्बन्धित details की entry online Part II में भी करनी होगी।	शर्त संख्या 6-उक्त शर्त के अनुसार अवगत कराना है कि, राज्य सरकार द्वारा Working Plan prescription से सम्बन्धित details की entry online Part II में अपडेट किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। प्रस्तावित मोटर मार्ग कार्ययोजना के खण्ड-1 (भाग-2) के अध्याय-14 में चीड वन संवर्धन कार्यवृत्त में सम्मिलित है। (छाया प्रति संलग्न)

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति निर्गत कराने हेतु अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा किजीएगा।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय



(दीपक सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी

सिविल सोयम वन प्रभाग,

अल्मोडा।

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० 1)

कार्य का नाम:— जनपद अल्मोड़ा में तलेट से बिरकोला मोटर मार्ग का निर्माण।
(प्रस्ताव सं०— FP/UK/ROAD/10101/2015)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 10 है० बिल्लेख सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को सहमति करते हुए यथासंशोधित) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कर ली गयी है। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण वन विभाग के पक्ष में कर लिया गया है।



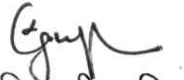
अमीन
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा



अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

Handwritten text, possibly a date or location, mostly illegible due to fading.

Handwritten text, possibly a name or title, mostly illegible due to fading.

Handwritten text, possibly a name or title, mostly illegible due to fading.

Handwritten text, possibly a name or title, mostly illegible due to fading.



आदेश

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत तलेट से बिरकोला मोटरमार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक-वृक्षारोपण हेतु सिविल भूमि को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने के संबंध में कार्यालय तहसीलदार, रानीखेत के पत्रांक 698/र0का0/ क्षतिपूरक-वृक्षारोपण/2014-15, दिनांक: 09 दिसम्बर, 2014 के द्वारा उप जिलाधिकारी रानीखेत को प्रेषित तथा उप जिलाधिकारी रानीखेत के द्वारा पृष्ठांकित टिप्पणी दिनांक 09-12-2014 के क्रम में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक 2162/3सी.(वन.मि), दिनांक: 11-12-2014 के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराये गये भू-अभिलेख जिसमें क्षतिपूरक-वृक्षारोपण हेतु तहसील-रानीखेत के अन्तर्गत प्रस्तावित की गई भूमि को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण किये जाने के संबंध में तहसीलदार रानीखेत के द्वारा की उपरोक्त प्रयोजन हेतु प्रस्तावित की गई भूमि की खतौनी, खसरा, मोकानका एवं संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट सहित क्षतिपूरक-वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गई भूमि के संबंध में तहसीलदार, रानीखेत की आख्या के अनुसार उपलब्ध प्रयोजन हेतु प्रस्तावित की गई भूमि ग्राम-बिल्लेख, पटवारी क्षेत्र-बिल्लेख, तहसील-रानीखेत के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या-62 की श्रेणी-9(3)ड़, "कृषि योग्य बंजर" भूमि के पैमाशरी खेत न0 188 मध्ये कुल-10.020 हैक्टर सिविल भूमि को क्षतिपूरक-वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में हस्तान्तरित की जाती है। तहसीलदार, रानीखेत कृ० तदनुसार ही रा.स्व अभिलेखों में अमलदरामद किया जायें, अमलदरामद के उपरान्त खतौनी नकल की प्रति प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

सहायक अभियन्ता
6/1/2015

(विनोद कुमार सुमन)
जिला अधिकारी, अल्मोड़ा

कार्यालय जिला अधिकारी, अल्मोड़ा
संख्या 1489 / ग्यारह-12- / 2014-15, दिनांक 12 दिसम्बर, 2014

प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1- प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, रानीखेत/अल्मोड़ा।
- 2- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।
- 3- उप जिलाधिकारी, रानीखेत।
- 4- तहसीलदार, रानीखेत को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु।

(विनोद कुमार सुमन)
जिला अधिकारी, अल्मोड़ा

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, सो० मि० वि०
अल्मोड़ा



कार्यालय

वन क्षेत्राधिकारी रानीखेत वन क्षेत्र, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा



Phone No. 05966 299100

Office Email-ranikhetforestrange@gmail.com

पत्रांक 1525/12-1

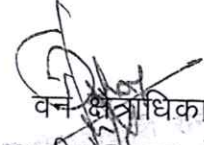
रानीखेत वन क्षेत्र

दिनांक 20/03/

2025

कब्जे में लिए जाने का प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अल्मोड़ा के तलेट से बिरकोला मोटर मार्ग के सापेक्ष ग्राम बिल्लेख, पटवारी क्षेत्र बिल्लेख, तहसील रानीखेत के गैर जमींदारी विनाश खतौनी संख्या 62 की श्रेणी-9 (3)ड़ कृषि योग्य बंजर भूमि के पैमायशी खेत नं0 188 मध्ये कुल 10.020 है0 भूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्य किया गया है उक्त वन भूमि को वन विभाग द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया है।


वन क्षेत्राधिकारी
रानीखेत वन क्षेत्र।

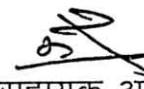
प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० 2)

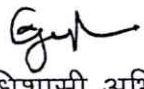
कार्य का नाम:— जनपद अल्मोड़ा में तलेट से बिरकोला मोटर मार्ग का निर्माण।
(प्रस्ताव सं०— FP/UK/ROAD/10101/2015)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 23,03,596.00 (तेईस लाख तीन हजार पाँच सो छियानब्बे मात्र) तथा एन०पी०वी० हेतु 32,85,821.00 (बत्तीस लाख पिचासी हजार आठ सो इक्कीस मात्र) की धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 28.09.2016 को जमा कर दी गयी है।

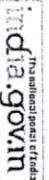

अमीन
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

14	FP/UK/ROAD/15132/2015 (./viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/15132/2015) Badyuda-Thapaniya motor road 1.775km length and 10.00tr span R.C.C motor bridge	ROAD1513220157183	1131513220157183	19 Jul 2016	CA: 0/- PCA: 0/- Safety: 0/- Zone: 0/- NPV: 635647/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 1248576/-	Add CA: 0/- CAT: 0/- Add PA: 0/- road side gap filling 612929/-		Fund Demand Verified by : 27 Jan 2017 Model Officer On Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : Bank (Challan) Challan Generated : 16 May 2017 On Transaction Date : 03 Jun 2017	Demand Letter (./writereaddata/Fundpdf/101114122412151A753IMG_0001.pdf) Generated Challan (./UserAccount/GenerateChallanCorp.aspx?pid=ROAD1513220157183)
15	FP/UK/ROAD/10101/2015 (./viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/10101/2015) Tajet Virkola Motor Road	ROAD101012015218	113101012015218	15 Apr 2016	CA: 2303596/- PCA: 0/- Safety: 0/- Zone: 0/- NPV: 3285821/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 5589417/-	Add CA: 0/- CAT: 0/- Add PA: 0/- Other Charges: 0/-		Fund Demand Verified by : 07 Sep 2016 Model Officer On Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : Bank (Challan) Challan Generated : 07 Sep 2016 On Transaction Date : 28 Sep 2016	Demand Letter (./writereaddata/Fundpdf/91161237121R0FC2016090623216.pdf) Generated Challan (./UserAccount/GenerateChallanCorp.aspx?pid=ROAD101012015218)

[\(HTTPS://SWACHHBHARAT.MGOV.IN/\)](https://swachhbharat.mgov.in/)

[\(HTTPS://INDIA.GOV.IN/\)](https://india.gov.in/)

[\(HTTP://WWW.PMINDIA.GOV.IN/EN/\)](http://www.pmindia.gov.in/en/)
[\(HTTP://WWW.NIC.IN/\)](http://www.nic.in/)
[\(WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN\)](http://www.mgov.in/)

[\(HTTPS://DATA.GOV.IN/\)](https://data.gov.in/)

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० ३) वचनबद्धता प्रमाण-पत्र

कार्य का नाम:— जनपद अल्मोड़ा में तलेट से बिरकोला मोटर मार्ग का निर्माण।
(प्रस्ताव सं०— FP/UK/ROAD/10101/2015)

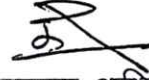
प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग में भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार एन०पी०वी० की नयी दरों के अनुसार धनराशि 17,41,486 (सतरह लाख इक्कालीस हजार चार सौ छियासी मात्र) की धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 30.12.2024 को जमा कर दी गयी है।



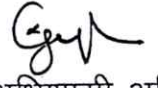
अमीन
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा



अधिशायी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

12/20/24, 1:54 PM

Challan

AGENCY COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India



Challan for collection of CAMPA fund

Date : 28-12-2024

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	CONSTRUCTION DIVISION PWD ALMORA
PIF/Application No.	6110101901
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/72/2015-FC
Address.	Construction Division PWD Almora Almora
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	eeecdalmorapwd@rediffmail.com 9759892120 5962-230091
Amount(In Rs)	1741486/-
Beneficiary Branch and Code.	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

Amount in Words:Seventeen Lakh Forty-One Thousand Four
Hundred and Eighty-Six Rupees OnlyDepositor Signature
(Signature)Bank Official
(Signature)

Bank's Transaction Number	Branch Stamp
---------------------------	--------------

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

CAMPA-MOEF Copy

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India



Challan for collection of CAMPA fund

Date : 28-12-2024

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	CONSTRUCTION DIVISION PWD ALMORA
PIF/Application No.	6110101901
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/72/2015-FC
Address.	Construction Division PWD AlmoraAlmora
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	eeecdalmorapwd@rediffmail.com 9759892120 5962-230091
Amount(In Rs)	1741486/-
Beneficiary Branch and Code.	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

Amount in Words :Seventeen Lakh Forty-One Thousand Four
Hundred and Eighty-Six Rupees OnlyDepositor Signature
(Signature)Bank Official
(Signature)

Bank's Transaction Number	Branch Stamp
---------------------------	--------------

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdes:

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbanko:

6016020250113888131



Sno.	Proposal Detail	Application No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UK/ROAD/10393/2015 (./viewreport.aspx? pid=FP/UK/ROAD/10393/2015) Bartoli-Banthok Motor Road(Part 1)	ROAD103932015671	6110393671	08 Oct 2015	CA: 0/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety: 0/-, Addl PA: 0/- Zone: 0/- NPV: 957164/-, Other Charges: 0/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 957164/-	☒ Paid	Fund Demand Verified by : 03 Jan Nodal Officer : 2025 On : Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : Of India (Challan) Challan Generated : 09 Jan 2025 Transaction Date : 10 Jan 2025	Demand Letter (./writereaddata/Fundpdf/201220241523499988_FPUKROAD103932015_User_Fund_Demanded_74695.pdf
2	FP/UK/ROAD/10101/2015 (./viewreport.aspx? pid=FP/UK/ROAD/10101/2015) Talet Virkola Motor Road	ROAD101012015901	6110101901	15 Apr 2016	CA: 0/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety: 0/-, Addl PA: 0/- Zone: 0/- NPV: 1741486/-, Other Charges: 0/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 1741486/-	☒ Paid	Fund Demand Verified by : 28 Dec Nodal Officer : 2024 On : Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : Of India (Challan) Challan Generated : 28 Dec 2024 Transaction Date : 30 Dec 2024	Demand Letter (./writereaddata/Fundpdf/211220241203525448_FPUKROAD101012015_User_Fund_Demanded_583V6.pdf
3	FP/UK/ROAD/10677/2015 (./viewreport.aspx? pid=FP/UK/ROAD/10677/2015) Sindhiyamalla-Tadkot-Gunaditya Motor road	ROAD106772015830	6110677830	01 Jul 2015	CA: 0/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety: 0/-, Addl PA: 0/- Zone: 0/- NPV: 1380274/-, Other Charges: 0/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 1380274/-	☒ Paid	Fund Demand Verified by : 31 Dec Nodal Officer : 2024 On : Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : Of India (Challan) Challan Generated : 31 Dec 2024 Transaction Date : 30 Dec 2024	Demand Letter (./writereaddata/Fundpdf/271220241357425444_FPUKROAD106772015_User_Fund_Demanded_583V6.pdf

सहायक अभियन्ता
विभाग, सो रो रो
सुपरी

मिने मेमिने

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० 4)

कार्य का नाम:— जनपद अल्मोड़ा में तलेट से बिरकोला मोटर मार्ग का निर्माण।
(प्रस्ताव सं०— FP/UK/ROAD/10101/2015)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 23,03,596.00 (तेईस लाख तीन हजार पाँच सौ छियानब्बे मात्र) तथा एन०पी०वी० हेतु 32,85,821.00 (बत्तीस लाख पिचासी हजार आठ सौ इक्कीस मात्र) की धनराशि तथा भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार एन०पी०वी० की नयी दरों के अनुसार धनराशि 17,41,486 (सतरह लाख इक्चालीस हजार चार सौ छियासी मात्र) की धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा कर दी गयी है।



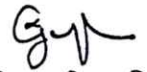
अमीन
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा



अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० 5)

कार्य का नाम:— जनपद अल्मोड़ा में तलेट से बिरकोला मोटर मार्ग का निर्माण।
(प्रस्ताव सं०— FP/UK/ROAD/10101/2015)

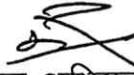
प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् जहां-जहां सम्भव हो लोक निर्माण विभाग द्वारा अपने व्यय पर मार्ग के दोनों ओर तथा Central Verge पर प्रयोक्त अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में Strip Plantation किये जाने हेतु प्रयोक्त अभिकरण सहमत है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रेषित किया जा रहा है।



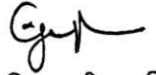
अमीन
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा



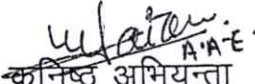
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० 6)

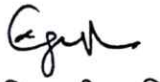
कार्य का नाम:— जनपद अल्मोड़ा में तलेट से बिरकोला मोटर मार्ग का निर्माण।
(प्रस्ताव सं०— FP/UK/ROAD/10101/2015)

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त शर्त का अनुपालन प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से किया जाना है।


अमीन
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

46	जागेश्वर रैंज	पू० पनुवानौला	57	52.20	III	0.5
47	जागेश्वर रैंज	पू० पनुवानौला	58B	34.40	III	0.5
48	जागेश्वर रैंज	पपोली	3 A	51.40	II/III	0.6
49	जागेश्वर रैंज	पपोली	6 A	62.70	II/III	0.5
50	जागेश्वर रैंज	पपोली	9 A	34.80	II/III	0.5
51	जागेश्वर रैंज	पपोली	9 B	49.00	II/III	0.6
52	जागेश्वर रैंज	पपोली	10 A	44.10	II/III	0.5
53	जागेश्वर रैंज	पपोली	11 A	38.00	II/III	0.5
54	जागेश्वर रैंज	पपोली	12 A	50.20	III	0.6
55	जागेश्वर रैंज	पपोली	13 A	80.50	II/III	0.6
56	जागेश्वर रैंज	पपोली	14 A	14.60	III	0.6
57	जागेश्वर रैंज	पपोली	15 A	89.00	III	0.5
58	जागेश्वर रैंज	पपोली	17	57.90	III	0.6
59	जागेश्वर रैंज	रंगोडीकोट	1	158.60	II/III	0.4
60	जागेश्वर रैंज	रंगोडीकोट	2	157.00	III	0.5
61	जागेश्वर रैंज	रंगोडीकोट	3	94.30	II/III	0.4
62	जागेश्वर रैंज	रंगोडीकोट	4	122.20	III	0.4
63	जागेश्वर रैंज	रंगोडीकोट	5	137.30	III	0.6
64	जागेश्वर रैंज	रंगोडीकोट	7	78.90	III	0.5
65	जागेश्वर रैंज	रंगोडीकोट	8	143.70	III	0.3
66	जागेश्वर रैंज	रंगोडीकोट	9	74.90	III	0.6
67	जागेश्वर रैंज	रंगोडीकोट	11	64.30	III	0.4
68	जागेश्वर रैंज	सियालकोट	1	23.50	III	0.5
69	जागेश्वर रैंज	सियालकोट	2	46.50	III	0.6
70	जागेश्वर रैंज	सियालकोट	3	113.30	III	0.6
योग -				4471.30		
1	कनारीछीना	पू०पनुवानौला	1	94.70	II	0.6
2	कनारीछीना	पू०पनुवानौला	2	100.80	II/III	0.6
3	कनारीछीना	पू०पनुवानौला	3	78.50	II	0.6
4	कनारीछीना	पू०पनुवानौला	4 A	45.70	II	0.5
5	कनारीछीना	पू०पनुवानौला	4 B	43.30	II/III	0.3
6	कनारीछीना	पू०पनुवानौला	5	72.80	II/III	0.6
7	कनारीछीना	पू०पनुवानौला	6	101.20	II/III	0.6
8	कनारीछीना	पू०पनुवानौला	7	69.20	II/III	0.6
9	कनारीछीना	पू०पनुवानौला	8	87.00	III	0.5
10	कनारीछीना	पू०पनुवानौला	10	62.70	III	0.5
11	कनारीछीना	पू०पनुवानौला	13 A	19.80	II/III	0.5
12	कनारीछीना	पू०पनुवानौला	13 B	54.60	II/III	0.5
13	कनारीछीना	पू०पनुवानौला	14 A	32.40	II/III	0.5
14	कनारीछीना	पू०पनुवानौला	14 B	57.10	II/III	0.6